भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMAT CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्याः 8बी./यू.सी.पी./06/27/2017/एफ.सी./1350 **दिनांकः 20/09/2019**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मन्दिर मालभीडा धारकोट सेरा मुनानी मलीखेत नागचूलाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/16265/2015)

सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 500/FP/UK/ ROAD/16265/2015 दिनांक 16-08-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 09/11/2018 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी, जिसमें निम्नलिखित कमियों की पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित हैः

1. बिन्दु संख्या 01 का उत्तर अभी भी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.11.2018 के बिन्दु संख्या 01 का सही जवाब इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. बिन्दु संख्या 02 के प्रतिउत्तर में Cost benefit analysis अभी भी old format में ही पैरा–G Part-I में upload की गई है। राज्य सरकार Cost benefit analysis को new format में प्रस्तुत तथा अपलोड करें।
3. बिन्दु संख्या 03 के प्रतिउत्तर में वन भूमि के प्रयोग का औचित्य सन्तोषजनक नही है। अतः राज्य सरकार वन भूमि के प्रयोग का औचित्य पुनः प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. बिन्दु संख्या 04 के प्रतिउत्तर में क्षतिपूरक वृक्षरोपण क्षेत्र की उपयुक्तता हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण वन क्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2019 को किया गया। अतः राज्य सरकार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कराएं तथा सम्बन्धित रिर्पोट इस कार्यालय में प्रेषित करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

20.09.19

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)